न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर टी.आई./103/2018 तारीख रजु 31.10.2018

उनवान

लक्ष्मी पुत्री स्व. राजसिंह पत्नि गजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी चिनायटा हाल निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली

——सायला

बनाम

खुशीराम पुत्र किशोर वगै. जाति जाट निवासी चिनायटा तहसील हिण्डौन जिला करौली

——गैरसायल(11)

उपस्थितिः—

सायला की ओर से :— श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट
गैरसायलान की ओर से :— कोई उपस्थित नही।

निर्णय

दिनांक 23.01.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायला की ओर से वकालतन एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा मय मूल दावा विभाजन कृषि आराजीयात ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डोन के खसरा न. 3, 373, 374, 375, 438, 466, 467, 531, 699, 617, 8, 85, 86, 886, 889, के सम्बंध में पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान सायला वकील को कई बार तलवाना पेश करने के अवसर दिये गये पत्रावली दिनांक 23.01.2020 को तलवी की स्टेज पर पेश हुई । बार–बार आवाज दिलाई गई । पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त प्रार्थना पत्र में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 103/2018 लक्ष्मी बनाम खुशीराम वगै. अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 23.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

23.01.2020

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.02.14 12:12:34 IST
Reason: SelfAttested